

# वर्ष 2018-19 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करने की प्रक्रिया

वर्ष 2018-19 के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिये आवेदित की जाने वाली दुकान हेतु निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि को निम्नानुसार किसी एक प्रक्रिया द्वारा जमा कराया जा सकता है :-

## 1. डी.डी. द्वारा भुगतान

- निर्धारित आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि दोनों के अलग-अलग दो डी.डी. बनवाने होंगे |
- उक्त दोनों डी.डी. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी जहाँ आवेदन किया जाना है, के नाम बनवाये जायेंगे |
- निर्धारित राशि से कम राशि के डी.डी. जमा कराये जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जायेगा तथा लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा | इसके लिए आवेदक स्वयं उत्तरदायी होंगे |
- अमानत राशि के डी.डी. के पृष्ठ भाग पर आवेदक रजिस्ट्रेशन क्रमांक, आवेदक का नाम, एकाधिक (Multiple) आवेदन क्रमांक तथा आवेदन शुल्क के डी.डी. के पृष्ठ भाग पर आवेदक रजिस्ट्रेशन क्रमांक, आवेदक का नाम, एकाधिक (Multiple) आवेदन क्रमांक, आवेदन क्रमांक तथा आवेदित दुकान की सूचना आवश्यक रूप से लिखी जानी चाहिये |
- सॉफ्टवेयर से प्रिंट किये गये आवेदन प्रपत्र के साथ उक्त डी.डी. मय वांछित दस्तावेज संलग्न कर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि तक आवश्यक रूप से जमा कराये जाने होंगे |

## 2. ई-ग्रास चालानों के माध्यम से आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि निर्धारित बैंक में जमा कराया जाना

इस माध्यम द्वारा आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जमा करने के ई-ग्रास चालान बनाये जाकर सम्बन्धित जिले जिसमें आवेदन किया जाना है, की निर्धारित बैंक शाखा में नगद, चेक अथवा डी.डी. द्वारा निर्धारित राशि जमा कराई जा सकती है | इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :-

- इस हेतु आबकारी विभाग के ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर “आवेदक सैक्शन” में “बैंक में राशि जमा कराने का ई-ग्रास चालान बनायें” लिंक कर क्लिक करें |
- “रजिस्ट्रेशन क्रमांक एवं मोबाइल नम्बर” दर्ज कर “खोजें” बटन पर क्लिक करें |
- आवेदक द्वारा किये गये समस्त आवेदनों की सूचना प्रदर्शित हो जाएगी |
- आवेदन शुल्क अथवा अमानत राशि जिसका भी चालान बनाया जाना है उसके लिए जमा कराई जाने वाली राशि दर्ज कर “मैनुअल आवेदन चालान” अथवा “मैनुअल अमानत चालान” बटन पर क्लिक करें, ई-ग्रास की वेबसाइट खुल जाएगी |
- सम्बन्धित जिले में राशि जमा के लिए उपलब्ध निर्धारित बैंक ब्रांचों की सूची प्रदर्शित होगी जिसमें से उस ब्रांच को चुने जिसमें चालान द्वारा राशि जमा कराई जानी है |
- तत्पश्चात, “Pay Now” बटन पर क्लिक करें चालान प्रदर्शित हो जायेगा | इस चालान का प्रिंट लेवें |
- उक्त प्रक्रियानुसार आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि दोनों के अलग-अलग चालान बनावें |
- उक्त चालानों द्वारा निर्धारित बैंक शाखा में देय राशि जमा करावें तथा चालानों की सूचना “किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें” लिंक पर उपलब्ध “भुगतान प्रक्रिया” फार्म में दर्ज करें |
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध “यूजर मैनुअल” का अध्ययन करें |

## 3. आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का ऑनलाइन भुगतान

आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का ऑनलाइन भुगतान निम्नलिखित प्रक्रियानुसार किया जा सकेगा :-

- इस कार्य हेतु आबकारी विभाग का ऑनलाइन आवेदन की वेबसाइट पर आवेदक रजिस्ट्रेशन के पश्चात आवश्यकतानुसार विभिन्न मदिरा दुकानों के लिए आवेदन करें।
- तत्पश्चात, वेबसाइट पर “आवेदक सैक्शन” में उपलब्ध “किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें” लिंक पर उपलब्ध “भुगतान प्रक्रिया” फार्म में आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जिसका भी भुगतान करना है के सैक्शन में “भुगतान का माध्यम” कॉलम में “आबकारी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान” ऑप्शन को सलैक्ट करें।
- इस सैक्शन में प्रदर्शित “भुगतान करें” बटन पर क्लिक करें, ई-ग्रास की वेबसाइट खुलेगी।
- बैंक जिसके माध्यम से ऑनलाइन भुगतान किया जाना है को सलैक्ट करें तथा “Pay Now” बटन पर क्लिक करें।
- चुने गए बैंक की इन्टरनेट बैंकिंग की वेबसाइट खुलेगी। इस वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान की निर्धारित प्रक्रिया को अपनाते हुए ऑनलाइन भुगतान की कार्रवाई को पूर्ण करें।
- ई-चालान प्रदर्शित होगा जिसका प्रिंट आवेदक द्वारा लिया जाना चाहिये।
- इसी प्रक्रिया द्वारा ई-ग्रास वेबसाइट एवं आबकारी विभाग की वेबसाइट के मध्य बने कनेक्शन को तोड़े बिना पुनः आबकारी विभाग की वेबसाइट प्रदर्शित होने दें।
- उक्त प्रक्रिया का अनुसार जिस मद का भुगतान किया गया है का भुगतान कर दिया जाना स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
- उक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए दूसरे मद का भी ऑनलाइन भुगतान करें।
- प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाइट पर उपलब्ध “यूजर मैनुअल” का अध्ययन करें।

#### 4. आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का नगद भुगतान

आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि का भुगतान नगद भी किया जा सकता है। यह राशि सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में ही जमा की जा सकेगी। इसके लिए आवेदन प्रपत्र भरते समय वेबसाइट पर “आवेदक सैक्शन” में उपलब्ध “किये गये भुगतान की सूचना दर्ज करें या भुगतान करें” लिंक पर उपलब्ध “भुगतान प्रक्रिया” फार्म में आवेदन शुल्क एवं अमानत राशि जिसका भी भुगतान करना है के सैक्शन में “भुगतान का माध्यम” कॉलम में “नगद भुगतान” ऑप्शन चुने।

तत्पश्चात, फार्म का प्रिंट लिया जाकर सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में उक्त राशि GA-55 द्वारा नगद जमा करावें तथा ऑनलाइन प्रिंट किये गए फार्म के साथ उक्त GA-55 की मूल रसीद को संलग्न कर फार्म को कार्यालय में जमा करावें।